बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

आदेश

राज्य सरकार के 07 निश्चयों में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के अधीन कुशल युवा क्रार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी। उक्त के आलोक में राज्य में विभिन्न केंन्द्रों को कुशल युवा प्रोग्राम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिला कौशल प्रबंधक के द्वारा BSDC Lakhisarai (KYP05040005), केन्द्र का निरीक्षण दिनांक 03.12.2024 को किया गया, निरीक्षण के क्रम में केन्द्र बंद पाया गया जिसके आधार पर केन्द्र से स्पष्टीकरण दिनांक 16.12.2024 को की मांग की गयी स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया गया। पुनः जिला कौ ाल प्रबंधक के द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें केन्द्र बंद पाया गया। SPMU Incharge, लखीसराय ने भी अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि केन्द्र बिना किसी सूचना तथा बिना किसी वैध कारण के बंद है।

अतः शाषी पर्षद के 14वीं बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में BSDC Lakhisarai (KYP05040005) को बिना किसी सूचना तथा बिना किसी वैध कारण के 15 दिनों से अधिक बंद पाये जाने के कारण स्थायी रूप से बंद करते हुए उनके पंजीयन को रद्द किया जाता है।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Signed by
Suresh Kumar Singh
Date: 17-03-2025 10:03:18

(सुरेश कुमार सिंह)
मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक–BSDM/ KYP05040005/ लखीसराय -05/2024 पटना दिनांक–

प्रतिलिपि–(1) BSDC Lakhisarai (KYP05040005) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) Project Director, MKCL/Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) Team Leader – KRA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(4) मिशन प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त केन्द्र से कटौती सुनिश्चित किया जाए।

(5) जिला नियोजन पदाधिकारी/जिला कौशल प्रबंधक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(6) सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन।